उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 06/2022/2471/1393902/12-3099/66/2021
लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2022

कार्यालय-आदेश

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत, भारत सरकार के पत्र संख्या: 3-6(KKA-III)/2020-एम एण्ड टी (आई. एण्ड पी.) दिनॉक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा कृषि कल्याण अभियान-।।। (फेज-2) में प्रमोशन आफ फार्म मैकेनाइजेशन इन सलेक्टेड विलजेज इन 80 ब्लाक्स इन एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्टस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू. 192.00 लाख (एक करोड़ बानबे लाख रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रायाजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (एन.एम.ए.ई.टी.) (के.60/रा.40-के+रा.)-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू. 20110.61 लाख के सापेक्ष, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 15.11.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

2. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप एन.एम.ए.ई.टी. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जाएगा। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

10. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2. वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदन संख्या-011-के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-01-केन्द्र प्रयोजित योजनाएं-0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (एन.एम.ए.ई.टी. (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी के नामें डाला जाएगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-1-3501-दस-2021-22, दिनॉक 07 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहा है।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:06/2022/ 2471/1393902(1)/12-3099/66/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/1243/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
6. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://upsamadesh.up.gov.in